

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलारा (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवारी हल्का भकरी

बहक श्री जगदर सिंह
पुत्र श्री जगदर सिंह
जाति राजपूत नि बूलर
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 13 / 2019

निर्णय दिनांक 13/3/19

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शील भकरी खसरा नम्बर 417
रकबा 1.29 हैक्टर किस्म नदी (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री जगदर सिंह
पुत्र श्री जगदर सिंह जाति राजपूत निवासी बूलर (जिससे
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाइ लगान कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

का नोटिस लामिल हुआ था अप्रार्थी
द्वारा जवाब देते हुए बाद समय चला गया जो दिया
जाकर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया गया है

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम शील भकरी
ख.न. 417 रकबा 1.29 किस्म नदी पर संवत् 2075 में विना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाइ लगान कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 64 प्रति एकर का 50 गुणा रूपया 387 / 5
(रूपये 387 / 5) शारित
कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की
एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।
बागोट

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/19 का सरे इजलास सुनाया।

2019-20
संज्ञित 'ग' तब के पृष्ठ नं. 54
पस 210 पं. 3.8.7 20 को
बांध दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार भकरी मौलारा (नागौर)